an>

Title: Presentation of the 20th to 24th Reports of the Committee on Petitions.

श्री भगत सिंह कोश्यारी (नैनीताल - उधम सिंह नगर): महोदया, मैं याचिका समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं: -

(1) सेंटार लेक व्यू होटल श्रीनगर/होटल कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एचसीआई), दिल्ली में वेतन पुनरीक्षा को लागू किए जाने के बारे में सर्वश्री जावेद पंडित और हरीश से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में समिति के 7वें प्रतिवेदन में याचिका समिति (16वीं लोक सभा) द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 20वां प्रतिवेदन।

(2) सीसीएसओ/सेल, धनबाद में अनुकम्पा के आधार पर रोज़गार दिए जाने के बारे में श्री सौरभ कुमार से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में समिति के 8वें प्रतिवेदन में याचिका समिति (16वीं लोक सभा) द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 21वां प्रतिवेदन।

(3) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा के कर्मचारियों/सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बकाया पेंशन और पूरे वेतन का भुगतान न किए जाने के बारे में श्री घनश्याम बैरवा से प्राप्त तथा श्री ओम बिरला, संसद सदस्य, लोक सभा और श्रीमती मीनाक्षी बोरकर द्वारा अग्रेषित अभ्यावेदन के बारे में समिति का 22वां प्रतिवेदन।

(4) देवघर, झारखंड में एक नया आल इंडिया इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एम्स) खोले जाने के बारे में श्री निशिकांत दुबे, संसद सदस्य, लोक सभा द्वारा प्रस्तुत सर्वश्री लखन तुरी और महेन्द्र प्रसाद कुशवाहा की याचिका के बारे में समिति का 23वां प्रतिवेदन।

(5) ठेका श्रमिकों की कार्य दशाओं को शासित करने वाला ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 का संशोधन के बारे में श्री सपन कुमार घोषाल के अभ्यावेदन के बारे में समिति का 24वां प्रतिवेदन।